

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 06/2021- केन्द्रीयकर

नई दिल्ली, 30 तारीख मार्च, 2021

सा. का. नि.....(अ).- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 के 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, सरकार, अधिसूचना सं. 89/ 2020 - केन्द्रीय कर, तारीख 29 नवम्बर, 2020, जिसे सा. का. नि 745(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) पहले अनुच्छेद में, “ 31 मार्च” अंको और शब्दों के स्थान पर “30 जून” अंको और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (ii) पहले अनुच्छेद में, “1 अप्रैल” अंको और शब्दों के स्थान पर “1 जुलाई” अंको और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/16/38/2020- जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं 89/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 29 नवम्बर, 2020 द्वारा सा. का. नि. 745(अ) तारीख 29 नवम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, , खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।